Order Sheet [Contd] Case No 202/2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding with Signature of presiding 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17 30-05-17		Case No 202	2/2017 9LY
अधिवन्ता। गज्य की और से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड से अप०क० 339/16 धारा 326, 147, 148, 149, 324, 294, 506 भा.द.वि की केश डायरी प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत। अवेदक / आरोपी की ओर से अधि. श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र कोता हारा ध्रुठी रिपोर्ट के आधार पर गलत मामला दर्ज कर लिया है, जबिक उत्त अपराध से आवेदक का कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदक अपनी सरसों की फसल में पानी दे रहा था तब फरियादी पक्ष ने उसकी लाठी, कुल्हाडी एवं फर्सा से मारपीट की जिस पर से फरियादी पक्ष के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उक्त अपराध से बचने के लिए यह झूठा अपराध उनके विरूद्ध पंजीबद्ध करा दिया गया है। आवेदक दिनांक 17.05.17 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के सहअभियुक्तों को जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेंग। अतः आवेदक को उचित जमानत मुचलके पर मुक्त किये जाने का चिवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तकों पर अत्यधिक वल दिया है कि प्रकरण के सहआरोपीगण को इस न्यायालय द्वारा एवं आरोपी महेन्द्र को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त कर दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त को मीनला जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दिशित होता है कि आवेदक/अभियुक्त को भी जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दिशित होता है कि आवेदक/अभियुक्त पर रामवीर को लुहागी लाठी मारने का आरोप है तथा प्रकरण के सहआरोपीगण पर डंडों, लात धूसों से फरियादी पक्ष के साथ मारपीट करने का आरोप है।	Order or	Order or proceeding with Signature of presiding	Parties or Pleaders
ואן אייווין ויי סואואיסוי וויאר אייט אויווין ויי סואאיסוי וויאר איידי וויאר איידי וויאר איידי וויאר איידי וויאר		अधिवक्ता। राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड से अप०क० 339/16 धारा 326, 147, 148, 149, 324, 294, 506 भा.द.वि की केश डायरी प्रतिवेदन सिंहत प्रस्तुत। अगवेदक/आरोपी की ओर से अधि. श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फो० का पेश कर निवेदन किया कि पुलिस थाना गोहद के द्वारा झूठी रिपोर्ट के आधार पर गलत मामला दर्ज कर लिया है, जबिक उक्त अपराध से आवेदक का कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदक अपनी सरसों की फसल में पानी दे रहा था तब फरियादी पक्ष ने उसकी लाठी, कुल्हाडी एवं फर्सा से मारपीट की जिस पर से फरियादी पक्ष के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उक्त अपराध से बचने के लिए यह झूठा अपराध उनके विरुद्ध पंजीबद्ध करा दिया गया है। आवेदक दिनांक 17.05.17 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के सहअभियुक्तों को जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेंगा। अतः आवेदक को उचित जमानत मुचलके पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। राज्य की अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि प्रकरण के सहआरोपीगण को इस न्यायालय द्वारा एवं आरोपी महेन्द्र को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त करे दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त को भी जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दिशित होता है कि आवेदक/अभियुक्त पर रामवीर को लुहांगी लाठी मारने का आरोप है तथा प्रकरण के सहआरोपी महेन्द्र द्वारा रामवरन के सिर में कुल्हाडी मारने का आरोप है, श्रेष आरोपीगण पर डंडों, लात घूर्सों से फरियादी पक्ष के साथ	A Train

एम.सी.आर.सी. क्रमांक 4686 / 17 में पारित आदेश दिनांक 09.05.2017 के द्वारा जमानत पर मुक्त किये जाने के आदेश प्रदान किए है। शेष सहआरोपीगण गिर्राज, रामवरन, अशोकसिंह को इस न्यायालय द्वारा नियमित प्रतिभृति पर छोडा गया है, जबिक प्रकरण के सहआरोपी शैलेन्द्र को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एम.सी.आर.सी. क्रमांक 1628/17 में पारित आदेश दिनांक 06. 03.17 के द्वारा तथा जगदीश सिंह को एम.सी.आर.सी. क्रमांक 1627 / 17 में आदेश दिनांक 06.03.2017 के द्वारा अग्रिम प्रतिभूति पर मुक्त किये जाने के आदेश प्रदान किए गए है।

प्रकरण में आवेदक / अभियुक्त पर आहत धर्मवीर को सिर में लुहांगी से चोट पहुँचाए जाने का आरोप है, जबकि आरोपी के समान ही सहआरोपी महेन्द्र पर कुल्हाडी से रामवरन को सिर में चोट पहुँचाए जाने का आरोप है। सहआरोपी महेन्द्र को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियमित प्रतिभूति पर मुक्त किये जाने का आदेश प्रदान किया है। आहत धर्मवीर को मेडीकल परीक्षण में चार चोटें पाई गई है। आहत धर्मवीर के एक्सरे परीक्षण अनुसार किसी प्रकार का अस्थिभंग नहीं पाया गया है। आवेदक / अभियुक्त का मामला जमानत पाए सहआरोपी महेन्द्र से गुरूत्तर प्रकृति का नहीं है। अतः समानता के आधार पर आवेदक / अभियुक्त भी नियमित जमानत की पात्रता रखता है।

परिणामः आवेदक / अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा ४३९ जा०फौ० स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि उसकी ओर से अधीनस्थ न्यायालय की संतुष्टि योग्य 50000/— रूपए की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत वंधपत्र निम्न शर्तों के आधीन पेश हो तो उसे जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

शर्ते-

- आवेदक / अभियुक्त प्रत्येक तिथि दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
- अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। 2.
- साक्षियों को डराएगा धमकाएगा नहीं एवं प्रलोभित नहीं करेगा। आदेश की प्रति संबंधित क्षेत्राधिकारित रखने वाले मजिस्ट्रेट को भेजी जावे ।

आदेश की प्रति के साथ केश डायरी संबंधित थाने को बापस की जावे ।

> प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे। ALLE STATES

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद

